भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2216

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

घटिया उर्वरक

2216. श्री लालजी वर्मा:
श्री चंदन चौहान:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कंपनियां बहुधा किसानों को नकली और घटिया उर्वरक बेचती हैं, जिससे फ़सलों को क्षति होती है और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में किसानों या किसान समूहों द्वारा दर्ज कराए गए ऐसे मामलों की उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार संख्या कितनी है और इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इतनी सारी शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, एफआईआर दर्ज करने और उर्वरक ज़ब्त करने के अलावा ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कोई कठोर और ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने संज्ञान लिया है कि उर्वरकों की सीमित या विलंबित आपूर्ति के कारण किसान नकली उर्वरक खरीदने को विवश हो जाते हैं; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा नकली और घटिया उर्वरक की बिक्री को रोकने और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, राज्य-वार और माह-वार उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग (डीओएफ) मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की गतिविधि की निगरानी पूरे देश में एक ऑन-लाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है जिसे एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) कहा जाता है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात भी बहुत पहले ही तय कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को समय पर मांग-पत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(v) रेलगाड़ियों में उचित संख्या में रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेलगाड़ियों को समय पर निकालने के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान देश में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 28.07.2026 तक) के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**28.07.2026 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	121.5	176.03	110.8	65.23
2	**डीएपी**	35.06	42.67	26.24	16.43
3	**एमओपी**	11.09	14.28	5.79	8.49
4	**एनपीकेएस**	53.44	88.45	44.24	44.2
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता					
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री					

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उर्वरकों की कोई कमी या आपूर्ति में देरी नहीं है और सरकार किसानों को अधिसूचित कीमतों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, कालाबाजारी, घटिया उर्वरकों और अन्य कदाचारों के मामलों का समाधान करने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारें आवश्यक

वस्तु (ईसी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, इस तरह की कदाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त शिकायतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है। 01.04.2021 से अब तक उर्वरकों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सीपी-ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से उर्वरक विभाग में प्राप्त शिकायतों के बारे में राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

इसके अलावा, डीएएंडएफडब्ल्यू राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके साप्ताहिक आधार पर कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरकों और विपथन के मामलों के खिलाफ राज्यों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की नियमित निगरानी कर रहा है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश में 4,84,663 छापे मारे गए, 17,392 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6,941 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए और 847 एफआईआर दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थात 01.04.2026 से 24.07.2026 तक, इन कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध 1,69,031 छापे मारे गए, 9,127 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 2,868 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए और 270 एफआईआर दर्ज की गईं; वित्त वर्ष 2026-27 में जब्त किए गए उर्वरकों की मात्रा के साथ प्रवर्तन गतिविधियों की राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान, नकली और घटिया उर्वरकों के उत्पादन, बिक्री और वितरण से संबंधित मामले पाए गए हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान पाए गए ऐसे मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**मामलों की संख्या**	**दर्ज किए गए एफआईआर**
1	2021-22	3	3
2	2022-23	13	13
3	2023-24	6	6
4	2024-25	16	16
5	2025-26	19	19

इसके अलावा, राज्य ने यह भी सूचित किया है कि नकली और घटिया उर्वरकों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए, संबंधित अधिकारियों के समन्वय में राज्य कृषि विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है। इस तरह के प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान, निरीक्षण और औचक छापे मारे जाते हैं, उर्वरक स्टॉक को भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है, और **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985** के उपबंधों के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण के लिए उर्वरक के नमूने लिए जाते हैं। ऐसे मामलों में जहां उर्वरक के नमूने गैर-मानक पाए जाते हैं या जहां वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, वहां **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985** और **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955,** जहां लागू हो, के संगत प्रावधानों के तहत उचित विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2216 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) संबंधित है।

01.04.2021 से की गई शिकायतों का विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**शिकायतों की संख्या**
1	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	1
2	**आंध्र प्रदेश**	14
3	**असम**	2
4	**बिहार**	86
5	**छत्तीसगढ**	18
6	**दिल्ली**	6
7	**गुजरात**	15
8	**हरियाणा**	36
9	**जम्मू और कश्मीर**	5
10	**झारखंड**	5
11	**कर्नाटक**	21
12	**केरलम**	3
13	**मध्य प्रदेश**	39
14	**महाराष्ट्र**	17
15	**मणिपुर**	1
16	**मिजोरम**	3
17	**उड़ीसा**	8
18	**पंजाब**	25
19	**राजस्थान**	41
20	**तमिलनाडु**	14
21	**तेलंगाना**	6
22	**उत्तर प्रदेश**	227
23	**उत्तराखंड**	4
24	**पश्चिम बंगाल**	14
	सकल योग	**611**

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2216 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) संबंधित है।

खरीफ मौसम 2026 01.04.2026 से 24.07.2026 तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई																	
		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में)	कुल		
राज्य	निरीक्षण/ छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर		जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5270	4	4	0	94	66	4	37	0	0	0	0	0	0	135	70	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3204	6	0	0	6	0	0	0	0	0	4	4	0	0	16	4	0
बिहार	15074	652	627	57	1	149	15	0	0	0	0	0	0	0	653	776	72
छत्तीसगढ	5143	209	48	5	34	9	2	63	0	1	0	0	1	30029	306	57	9
दादर एवं नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	7563	39	0	1	4	3	0	17	0	8	1	0	5	0	61	3	14
हरियाणा	494	8	7	0	22	31	6	9	6	0	3	6	2	0	42	50	8
हिमाचल प्रदेश	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1562	0	0	1
झारखंड	633	10	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0	1	0	35	2	1
कर्नाटक	15702	2132	2	0	0	0	0	76	0	0	5	0	6	4208	2213	2	6
केरल	630	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	2202	8	0	0
मध्य प्रदेश	1021	0	0	4	0	0	0	0	0	9	23	22	0	0	23	22	13
महाराष्ट्र	40574	850	575	17	728	222	1	563	426	39	16	20	7	0	2157	1243	64
मणिपुर	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	9716	0	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	120	4	4	1
पुदुचेरी	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1859	10	0	0	0	0	0	51	7	4	49	0	8	0	110	7	12
राजस्थान	8280	712	20	1	139	28	3	121	0	1	167	1	6	4288	1139	49	11
तमिलनाडु	5377	0	0	0	138	0	6	221	0	0	118	0	2	0	477	0	8
तेलंगाना	11658	28	9	6	0	0	0	0	2	0	3	2	1	0	31	13	7
त्रिपुरा	964	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0
उत्तर प्रदेश	9896	1092	363	25	46	58	2	87	69	5	23	58	6	3826	1248	548	38
उत्तराखंड	351	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	15601	5	2	0	264	16	0	35	0	0	0	0	0	0	304	18	0
कुल	**169031**	**5757**	**1659**	**117**	**1666**	**584**	**40**	**1290**	**512**	**67**	**414**	**113**	**46**	**46235**	**9127**	**2868**	**270**